अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला.....सं0.....सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३
19.07.2013 21/8/2013	न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा भूमि विवाद अपील वाद संख्या 31/2012 बीबी जबीना खातून एवं अन्य — अपीलार्थीगण वनाम श्यामसुन्दर पोददार — प्रत्यर्थी प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी बीबी जबीना खातून पति मो0 ईदरीष साह , बीबी रूबेदा खातून पति मो0 सिद्दिक साह, ग्राम– हरिपुर, टोला– लदारी थाना– सोनवर्षा, जिला– सहरसा द्वारा श्यामसुन्दर साह पोद्दार पिता स्व0 भानु पोद्दार , ग्राम– हरिपुर, टोला– लदारी, थाना– सोनवर्षा, जिला– सहरसा के पक्ष में प्रश्नगत जमीन एराजी पुराना खाता–322, खेसरा पुराना –1135, खाता नया–350, खेसरा नया–1827,1828, रकबा –6.55 डीसमल चौहद्दी उ0– खेसरा नं0–1829, द0– पुराना खेसरा नं0–2043, प0– नया खेसरा नं0– 1826,1827 में विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा भूमि विवाद वाद संख्या 14/2011 में पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है। अपीलार्थीगण का कथन है कि गुलाब साह, पिता– इसमाईल साह, ग्राम– हरिपुर ने पुराना खाता संख्या 322 पूराना खेसरा संख्या 1126, 1135, 1140 , पुराना खाता संख्या 314 पुराना खेसरा संख्या 1117 रकबा 3 बीघा चौहद्दी के साथ सिंहेश्वर प्रसाद सिंह को बिकी किया। सिंहेश्वर प्रसाद सिंह के पुत्र द्वारा खाता नम्बर–350, खेसरा नम्बर–1827,1828 एवं दिगर खाता खेसरा के साथ मिलजले रकबा 4 क0 2 धूर मो0 अनवर वहद, मो0 युनूस मौजा हरिपुर, थाना– सोनवर्षाराज , जिला– सहरसा के हाथ उचित मूल्य पर दिनांक 16.09.1989 को बेचे । बाद में मो0 अनवर दिनांक 04.05.2009 को मौजा हरिपुर टोला लदारी, अन्दर खाता 322 पुराना खाता नया 350 खेसरा पुराना 1135, खेसरा नया 1827 एवं खेसरा नं0 1828, मलजुमले रकबा 6.55 डीसमल सिका चौहद्दी उत्तर– 1829, दक्षिण– खेसरा नम्बर–2043, पुरब– खेसरा नम्बर–2043 एवं पश्चिम– खेसरा नम्बर–1826 एवं 1827 अवस्थित है, ने उचित मूल्य पर बीबी जवीना खातुन जौजे इदरीश साह एवं बीबी रोवेदा खातुन जौजे मो0 सादीक साह के हाथ उपर वर्णित जमीन बेचा। जिसका दस्तावेज संख्या 4477 दि0 04.05.09 है। उनका यह भी कथन है कि बिहार सरकार सिरिस्ता में अपने नाम से जमाबन्दी कायम करवाये। उक्त भूमि कय के बाद जमीन पर घर मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रहने लगे। इसी बीच विपक्षीगण एक जाल पर्चा का हवाला देकर अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में मिस0 केश नम्बर 312/2009 दाखिल किये जिसमें मौजा हरिपुर, थाना– सोनबरसा राज, जिला– सहरसा का खाता नम्बर 1093 खेसरा नम्बर–1827, रकबा 1 कट्ठा 3 धूर चौहद्दी उत्तर– इलियास साह का घर, दक्षिण– श्याम सुन्दर पोद्दार का घर, पूरब–	

इलियास साह का फूस का घर, पश्चिम–मन्देश्वर सिंह के जमीन का विवरण दिया। विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रथम पक्ष के पक्ष में आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहरसा द्वारा यह मंतब्य दिया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा किसी भी पक्ष के राईट टाईटिल पर किसी भी तरह का कमेन्ट नहीं कर सकता है और उसके बाद उनके द्वारा माननीय समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में पर्चा कैंसिलेशन केस नम्बर 178/89–90 को रद्द करने हेतु प्रार्थना की गयी। उपरोक्त के लिए यह उल्लिखित किया गया है कि जब खतियान 1989–90 में फाईनल हो चुका तब पूराना खाता नं0 320 एवं पुराना खेसरा नं0 1135, नया खाता 1093 नया खेसरा नं0 1827 पर्चा में दर्ज नहीं था। नया खतियान देखने से यह लगता है कि पुराना खाता नया खाता संख्या 350 एवं पुराना खेसरा संख्या 1135 नया खेसरा संख्या 1827 में परिवर्तित हो गया।

अपीलार्थी का यह भी कथन है कि उपरोक्त से संबंधित सभी कागजात एवं अभिलेख विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के समक्ष उपस्थापित किया था परन्तु उनके द्वारा इसकी अनदेखी कर दी गयी।

प्रत्यर्थी का कथन है कि पु0 खाता 322 के अन्तर्गत पु0 खेसरा 1135 नहीं इसलिए भी प्रस्तुत वाद गलत है, विपक्षी का यह भी कहना है कि – पु0 खाता 320 भूतपूर्व मालिक जमीन दार का गैर मजरूआ खास ऐराजी थी जिससे उल्फत साह ने विवादी खेसरा 1135 वजरिये जुबानी बन्दोबस्त के हासिल किये और हकदार दखलकार हुए तथा पीछे चलकर उल्फत साह के नाम से विवादी जमीन निश्वत जमाबन्दी नं0 209 चलता आया और विपक्षीगण के पुर्वज उल्फत साह के समय से उनके अनुमति से विवादी जमीन पर घर– मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रहते चले आ रहे हैं।

प्रत्यर्थी का कहना है कि पीछे चलकर जब आवेदिकागण एवं उनके विकेता नाजायज झंझट करने लगे तब विपक्षी के द्वारा बासगीत पर्चा हेतु आवेदन दिया गया जिसका जॉच प्रतिवेदन कर्मचारी द्वारा दिया गया तथा पुनः हल्का कर्मचारी द्वारा भी अंचलाधिकारी के आदेश पर अपना जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया अंचल अमीन ने भी विवादी जमीन का पैमाईश कर ईट का पीलर गड़वा दिये और नक्शा के साथ नापी प्रतिवेदन दिये जिसमें उल्लेख किये कि विपक्षी का दखल कब्जा विवादी भूमि पर कई वर्षो से चला आ रहा है इस तरह अंचलाधिकारी, सोनवर्षा द्वारा बासगीत पर्चावाद संख्या 5ए/89–90 के द्वारा पूर्ण छानबीन के बाद आम सूचना के बाद दखल कब्जा के आधार विपक्षी के नाम से बासगीत पर्चा निर्गत किया गया तथा बासगीत पर्चा निर्गत होने के बाद विपक्षी द्वारा जमाबन्दी संख्या 2/ बासगीत /दाखिल खारिज वो कायम हुआ वो विपक्षी मालगुजारी अदा कर अद्यतन रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। प्रत्यर्थी का यह भी कहना है कि जब आवेदिका बीबी रोबीदा खातुन के पति मो0 सिदीक साह विवादी जमीन पर झंझट पैदा किये तो दफा 144 जाप्ता फौजदारी मिस केश नं 312/09 चला जिसमें अनुमंडल दण्डाधिकारी सहरसा ने विवादी जमीन के निस्वत विपक्षी के पक्ष में आदेश किये ।

प्रत्यर्थी द्वारा 19.07.2013 को एक आवेदन देकर विद्वान समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में चल रहे पर्चा कैंसिलेशन वाद संख्या 178/2010 को स्थगित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

दिनांक 19.07.2013 को उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का सुना। संबंधित अभिलेखों/कागजात का अवलोकनोपरान्त यह पाया कि विद्वान भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा उक्त वाद के सभी विन्दुओं पर विस्तृत चर्चा /विचार करते हुए आदेश पारित किया गया है।

गैरमजरूआ आम दर्ज है।

प्रत्यर्थीगण/उत्तरवादीगण का यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण एक ही खानदान के थे और प्रश्नांकित भूमि के अलावे दीगर भूमि का भी पुराना एवं नया खतियान, साथ साथ ही खुआ है, जिसमें से कुछ भूमि का अपना अंश बेचने के बावजूद भी खाता खोलवा लिये हैं। प्रश्नांकित आदेश पारित होने के बाद, आदेश का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थीगण, जबरन उत्तरवादीगण के खुले दरवाजे को टट्टी से घेर लिया है। उत्तरवादीगण के नाम से विवादित खेसरा 4.1/2 डीसमल जमीन का दखल कब्जा के आधार पर जमाबंदी नं0 1831 कायम हो चुका है, जिसका लगान रसीद भी उन्हें प्राप्त है।

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ताओं का सुना/अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये लिखित बहस एवं प्रत्यर्थीगण द्वारा समर्पित जबाव तथा उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों की छाया प्रति तथा निम्नन्यायालय का अभिलेख के परिशीलनोपरान्त यह पाया कि अपीलवाद में पक्षकार का दोष है। दाखिल बंशबृक्ष के अनुसार शेख अमीर तथा शेख खुदी के भाई थे एवं उभय पक्ष उनके बंशज हैं। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी का 1986 से आवासीय मकान हैं, अभिलेख के अवलोकन से यह गलत प्रतीत होता है। उपलब्ध कराये गये पुराना खतियान खाता की छाया प्रति के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तौजी नं 485 खतियान नं08 शेख अमीर वो शेख खुदी पे0 मीर वक्श व हिस्सा बराबर दर्ज है। निम्न न्यायालय में वादी द्वारा लिस्ट कागजात के साथ दाखिल continuous खतियान का सिलसिलेवार संख्या 433 की छाया प्रति के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि शेखहाजी तसरूफ तथा हाजी तजमुल पिता शेख अमीर 3 अंश , तथा शेख रियाजउद्दीन पिता खोदाद्दीन 2 अंश तथा बीबी मसीदा खातुन पिता खोदाद्दीन 1 अंश जाति शेख निवासी निज ग्राम टोला झिटकिया दर्ज है।

वर्णित स्थिति मे निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। अपीलवाद को खारिज करते हुए इस वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

(पंकज कुमार)
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा